



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19505/2026

श्रीमती सुनीता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देव प्रकाश शर्मा, प्रियंका देवी

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रियंका देवी और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान जी.ए. को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन महोबा जिले के खारेला थाना के मामले में अपराध संख्या 24/2026 (बीएनएस की धारा 80(2), 85 और डीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत) में आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक मृतक की सास हैं और मृत्यु का कारण फांसी के कारण दम घुटना था। यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी रामभरोसी, जो मृतक के ससुर हैं, को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 19394/2026 में जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का मामला सह-आरोपी रामभरोसी के मामले के समान है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक 04.04.2026 से जेल में बंद हैं और यदि उन्हें जमानत पर रिहा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे में सहयोग करेंगे।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत देने के अनुरोध का विरोध किया और निवेदन किया कि अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वे जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं।

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने का मामला सिद्ध कर दिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक श्रीमती सुनीता को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(iii) यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहती है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द.प्र.सं./ 84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थित होने में विफल रहती है, तो निचली अदालत उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(iv) आवेदक को निचली अदालत के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द.प्र.सं./ 351 बीएनएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि निचली अदालत की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो निचली अदालत ऐसे चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून, 2026

एपी पांडे

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।